

ANNEXURE-III (HINDI)

परिशिष्ट – III

सत्र 2017–18 के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा वंचित समूह श्रेणी (आरटीई अधिनियम, 2009) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए एक समान आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या

(विद्यालय द्वारा भरा जाए)

फोटो

1. विद्यालय का नाम :
(पूरा पते सहित)
2. कक्षा : नर्सरी/प्री स्कूल के.जी/प्री प्राइमरी कक्षा 1
3. बच्चे का नाम :
4. श्रेणी जिसमें आवेदन किया गया है : (जो लागू हो निशान लगाईये)
 - क. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
 - ख. वंचित समूह (डी.जी.)
5. वर्ग यदि वंचित समूह (डी.जी.) : (जो लागू हो निशान लगाईये)
 - अनुसूचित जाति
 - अनुसूचित जन-जाति
 - अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)
 - अनाथ
 - द्विलिंगी
 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चे/निशक्त बच्चे
 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चे/निशक्त बच्चे (मानसिक रूप से निशक्त)
6. लिंग : पुरुष स्त्री द्विलिंगी
7. जन्म तिथि* : दिन माह वर्ष
8. 31.03.2017 को आयु :
(शब्दों में)
9. माता का नाम :
10. पिता का नाम :
11. अभिभावक का नाम :
(यदि लागू हो तो)

12. माता-पिता/अभिभावक का व्यवसाय :
 (क) माता
 (ख) पिता
 (ग) अभिभावक
13. वर्तमान आवासीय पता ** :
14. माता-पिता/अभिभावक का मोबाइल नम्बर :
15. ई-मेल पता, यदि है तो :
16. बच्चे का आधार संख्या, यदि है तो :
17. माता का आधार संख्या, यदि है तो :
18. पिता का आधार संख्या, यदि है तो :
19. अभिभावक का आधार संख्या, यदि है तो :
20. सभी स्रोतों से माता-पिता की कुल वार्षिक आय :
21. आय का प्रमाण केवल ईडब्लूएस के लिए *** :
- (वंचित समूह वर्ग के लिए आय के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।)
22. आय प्रमाण पत्र की संख्या (यदि जारी किया गया हो)/आवेदन/पावती की संख्या (यदि आवेदित हो, लेकिन जारी नहीं किया गया हो) :
23. आय प्रमाण पत्र की तिथि (यदि जारी किया गया हो)/आवेदन/पावती की तिथि (यदि आवेदित हो, लेकिन जारी नहीं किया गया हो) :
24. वंचित समूह का प्रमाण **** :
25. वंचित समूह प्रमाण पत्र की संख्या (यदि जारी किया गया हो)/आवेदन/पावती की संख्या (यदि आवेदित हो, लेकिन जारी नहीं किया गया हो) :
26. वंचित समूह प्रमाण पत्र की तिथि (यदि जारी किया गया हो)/आवेदन/पावती की तिथि (यदि आवेदित हो, लेकिन जारी नहीं किया गया हो) :

माता-पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं (माता/पिता/अभिभावक का नाम)
 (बच्चे का नाम) इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरी
 पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त जानकारी सत्य एवं सही है। मैंने इस संबंध में अधिसूचना के सारे
 उपबन्ध पढ़कर समझ लिये हैं। यदि सत्यापन करने पर कोई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो मेरे बच्चे
 का प्रवेश रद्द किया जा सकता है व मैं अपने विरुद्ध कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाई के लिए
 उत्तरदायी हूं।

दिनांक

माता/पिता/अभिभावक का नाम